

बिहार सरकार  
(सामान्य प्रशासन विभाग)

॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक- 18-6-19

संख्या-18/लो.शि.नि.0-14-04/2016(खंड-1) 8065 /बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, के संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-7695, दिनांक-30.05.2016 के परिशिष्ट-1 के बाद निम्नलिखित नए परिशिष्ट तुरंत के प्रभाव से जोड़ती है :-

(क) यथा संलग्न परिशिष्ट-2(क) के अनुसार नई योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा,

(ख) यथा संलग्न परिशिष्ट-2 (ख) के अनुसार कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं को नई योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं से प्रतिस्थापन, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा ;

(ग) यथा संलग्न परिशिष्ट-2 (ग) के अनुसार लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अवनीश कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 18/लो.शि.नि.-14-04/2016(खंड-1) 8065 / पटना, दिनांक- 18-6-19

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और उसकी 1000 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 18/लो.शि.नि.-14-04/2016(खंड-1) 8065 / पटना, दिनांक- 18-6-19

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड/राज्य अभिलेखागार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/टी.सी.एस. कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नई योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं की सूची जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा और उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा	अभ्युक्ति
1	ग्रामीण कार्य विभाग	बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत पथों के नवीकरण/सुधार/मरम्मत/अनुरक्षण नहीं किए जाने या उससे संबंधित अनियमितताओं के संबंध में।	कार्यपालक अभियंता	पथों की उचित मरम्मत नहीं होने की स्थिति में पदाधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के बारे में संबंधित विभाग द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।
2	पथ निर्माण विभाग	OPRMC (Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract पद्धति) में संधारित राज्य उच्च पथों (SH) एवं वृहद जिला पथों (Major District Road-MDR) के पथ परत का अनुरक्षण	कार्यपालक अभियंता	
3	सामान्य प्रशासन विभाग	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त सरकारी सेवक के द्वारा मृत सरकारी सेवक के अन्य आश्रितों का भरण पोषण नहीं किए जाने से संबंधित मामले	अनुकम्पा पर नियुक्त सरकारी सेवक के पदस्थापन के कार्यालय प्रधान	

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं की सूची जिन्हें नई योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं से प्रतिस्थापित किया गया, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा और उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा

क्र.सं.	अधिसूचित स्थिति		प्रतिस्थापन के पश्चात स्थिति		
	विभाग का नाम	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा
1	ग्रामीण कार्य विभाग	<p>“ 250 (दो सौ पचास) तक की आबादी (जनसंख्या) वाले बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पथ एवं पुल/पुलियों का निर्माण”</p> <p>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)</p> <p>मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (MMGSY)</p> <p>नाबार्ड संपोषित राज्य योजना (सड़क एवं पुल-पुलियों का निर्माण)</p> <p>पथ अनुरक्षण (रख-रखाव), मरम्मति कार्य (MR)</p> <p>संवेदक के भुगतान संबंधित मामले</p>	कार्यपालक अभियंता	केन्द्रीय एवं राज्य कोर नेटवर्क (पूरक राज्य कोर नेटवर्क सहित) पर अवस्थित अर्हताधारी 250 एवं उससे अधिक आबादी वाले बसावटों को क्रमशः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत एकल बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पथों के निर्माण के संबंध में अनियमितताओं तथा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के संबंध में ।	कार्यपालक अभियंता

## बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवार का निवारण होगा

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवार दायर किया जा सकेगा	पूर्व से अधिसूचित लोक प्राधिकार	प्रस्तावित लोक प्राधिकार, जिनके स्तर पर परिवार का निवारण होगा
1	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	ध्वनि प्रदूषण	जिला पदाधिकारी/सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद पटना	जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद
		वायु प्रदूषण	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद पटना	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद
		जल प्रदूषण		
		प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से संबंधित शिकायत		
		जीव चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित शिकायत		
		अपशिष्ट प्लास्टिक विनिर्माण से संबंधित शिकायत		
इलेक्ट्रॉनिक कचरा(e-waste) से संबंधित शिकायत				



**Government of Bihar**  
**General Administration Department**  
**Notification**

संख्या-18/लो.शि.नि.-14-04/2016(खंड-1) अधिसूचना संख्या 8065/ दिनांक 18-6-19/का  
निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत -  
संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
14/06/19  
(अवनीश कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव।

Patna, Dated- 18-6-19

No.- 18/Lo.Shi.Ni.-14-04/2016(Part-1)...../ In exercise of the powers conferred  
under Section 4 of the Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015 (Bihar Act 19,  
2015), for the purposes of this Act, the State Government further adds the following new  
Appendix after the Appendix-1 of notification no. 7695 dated 30.05.2016 related to the  
Schemes, Programmes and Services on which complaint can be filed and public authority  
and department on which level the complaint will be redressed, with immediate effect, -

- (1) as per enclosed Appendix-2(a), the new Schemes, Programmes and Services on  
which complaint can be filed and public authority and department on which level  
the complaint will be redressed
- (2) as per enclosed Appendix-2(b), some Schemes, Programmes and Services  
substituted by new Schemes, Programmes and Services on which complaint can be  
filed and public authority and department on which level the complaint will be  
redressed
- (3) as per enclosed Appendix-2(c), the public authority and department on which level  
the complaint will be redressed

**By the order of the Governor,**

14/06/19  
(Avaneesh Kumar Singh)

Deputy Secretary to Government.

Memo No.- 18/Lo.Shi.Ni.-14-04/2016(Part-1)...../ Patna, Dated- 18-6-19

Copy:- Forwarded to Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna to  
publish in extra ordinary edition of Bihar Gazette and to send 1000 copies to the  
department.

14/06/19  
Deputy Secretary to Government.

Memo No.- 18/Lo.Shi.Ni.-14-04/2016(Part-1)...../ Patna, Dated- 18-6-19

Copy :- Forwarded to All Department/All Head of Department/Secretariat of the  
Governor/Secretariat of the Chief Minister/Resident Commissioner, New Delhi/Director  
General, BIPARD/Rajya Abhilekhagar, Patna/All Divisional Commissioner/All District  
Magistrate/Additional Mission Director, Bihar Prashashnik Sudhar Mission Society,  
Patna/T.C.S. Cell, Finance Department, Patna for information and necessary action.

14/06/19  
Deputy Secretary to Government.

**List of New Schemes, Programme and Services under Bihar Right to Public Grievance Redressal Act on which complaint can be filed and Public Authority and Department on which level the complaint will be redressed**

Sl. no	Name of Department	Schemes, Programmes and Services on which complainant can be filed	Public Authority on which level the complaint will be redressed	Remarks
1	Rural Works Department	Regarding not doing Renewal/Improvement/Repair/Maintenance of roads under the <b>Bihar Rural Roads Maintenance Policy, 2018</b> or irregularities related to it.	Executive Engineer	In case of not proper repairing of roads, the concern deparatment will take immediate decision for proper action against officers
2	Road Construction Department	Maitenance of Road Surface of State Highways(SH)and Major District Roads(MDR) under OPRMC	Executive Engineer	
3	General Administration Department	Matters relating to non-maintenance of other dependents of deceased government servant by the government servant, appointed on compassionate ground	Head of the office of place of posting of Government servant, who is appointed on compassionate ground.	

**Li of some Schemes, Programme and Services substituted by new Schemes, Programme and Services under Bihar Right to Public Grievance Redressal Act on which complaint can be filed and Public Authority and Department on which level the complaint will be redressed**

Sl.no	Notified status			Status after Substitution	
	Name of Department	Schemes, Programmes and Services on which complainant can be filed	Public Authority on which level the complaint will be redressed	Schemes, Programmes and Services on which complainant can be filed	Public Authority on which level the complaint will be redressed
1	<b>Rural Works Department</b>	<p>To construct roads and bridge/ culverts for providing single perennial connectivity to the habitants up to 250 population</p> <p>Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana(PMGSY)</p> <p>Mukhyamantri Gram Sadak Yojana(MMGSY)</p> <p>NABARD financed State plan(Construction of roads and bridge- culverts)</p> <p>Road Maintenance (Maintenance) and Repair works</p> <p>Matters related to the payments of contractor</p>	Executive Engineer	Regarding Irregularities in constructions of Roads and non-complition of works, to provide single perennial connectivity under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and Mukhya Mantri Gram Sampark Yojana, respectively, for eligible habitations of 250 and more population situated at Central and State Core Networks (including Supplementary State Core Network)	Executive Engineer

**Appendix2(c)**

**List of Public Authority and Department on which level the complaint will be redressed under Bihar Right to Public Grievance Redressal Act**

Sl.no	Name of Department	Schemes, Programmes and Services on which complainant can be filed	Previously Notified Public Authority	Proposed Public Authority on which level the complaint will be redressed
1	Environment Forest & Climate Change Department	Sound Pollution	District Magistrate/ Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board Patna	District Magistrate/ Regional Officers, Bihar State Pollution Control Board Patna
		Air Pollution	Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board Patna	Regional Officers, Bihar State Pollution Control Board Patna
		Water Pollution		
		Grievances related to such industries which extends pollutions		
		Grievances related to the bio medical wastes		
		Grievances related to the wastes due to manufacture of plastics		
Grievances related to Electronic waste(e-waste)				

